स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : संचेतना समिति ।
2. संस्था का पता : 9 सी/1, लिडिल रोड, जार्ज टाउन, इलाहाबाद ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।
4. संस्था के उद्देश्य

1. बालक/बालिकाओं के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना जैसे प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक तक की शिक्षा की व्यवस्था करना ।

2. स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी, कुष्ठ उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, बागवानी विकास, ऊसर बंजर भूमि सुधार, वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम, [illegible] नियंत्रण आदि कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना ।

3. समाज के [illegible] विकास [illegible] सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करना ।

4. समाज में सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, व्यवसायिक एवं शैक्षिक उन्नति का प्रयास व प्रसार करना ताकि उनका जीवन सुखमय हो सके ।

5. [illegible] वृद्ध, विकलांगों एवं समाज के [illegible] एवं बाल श्रम के कल्याण हेतु कार्य करना ।

कलावती सिंह

बेला सिंह

जगबहादुर सिंह

शारदा देवी

प्रबन्धक
बाबू हरीराम सिंह महाविद्यालय
[illegible] भगवतपुर, प्रयागराज

6. पर्यावरण प्रदूषण आदि जैसे विषयों पर लोगों को जानकारी देने के लिए विशेषज्ञों को आमन्त्रित करना और लोगों को इस विषय में सावधान करना एवं प्रदूषण नियन्त्रण के आधुनिक साधनों की जानकारी देना ।

7. खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रिजरवेशन, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी आदि प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना व संचालन करना ।

8. रक्तदान व नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक करना ।

9. जन हितार्थ नि:शुल्क चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, व्यायामशाला, शौचालय, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम शिशु पालन गृह, आदि की स्थापना व नि:शुल्क संचालन करना ।

10. नि:शुल्क औषधालय चलाना एवं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक तरीके से समाज में गरीबों को लाभ पहुचाना ।

11. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड, भूकम्प, ओलावृष्टि, तूफान आदि के समय पीड़ितों की [illegible] करना ।

12. नयी कला, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में नयी प्रतिभाओं को प्रस्तुति का मंच देना और आगे [illegible] के लिए [illegible] [illegible] एवं सहायता प्रदान करना

13. समाज में राष्ट्रीयता, एकता, [illegible] धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म सम्भाव सांप्रदायिक एकता एवं राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को जागृत करना ।

14. कार्य क्षेत्र के चर्तुमुखी विकास हेतु नि:शुल्क औषधालय, चिकित्सालय, सहायतार्थ सचल ईकाई, क्रीड़ा-स्थल, व्यामशाला, सांस्कृतिक क्लब, [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

प्रबन्धक
बाबू हरीराम सिंह महाविद्यालय
ऑफ फार्मेसी मन्दरी, भगवतपुर, प्रयागराज

सामुदायिक भवन, अनाथालय, परामर्श केन्द्र, मनोरंजन भवन, पुस्तकालय, वाचनालय आदि की व्यवस्था करना ।

15. देश-विदेश के सफल, चर्चित, अनुभवी और अपने कार्यक्षेत्र में दक्ष हस्तियों के अनुभवों का लाभ जनसमान्य तक पहुँचाना और उनके सम्पर्क में आने का अवसर प्रदान करना ।

16. देश के सांस्कृतिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों और और शास्त्रीय परम्पराओं से लोगों को अवगत कराना एवं इस सन्दर्भ में पत्र-पत्रिकाओं आडियो-विडियो का प्रकाशन करना ।

17. क्षेत्रीय प्रतिभाएं चाहे वे खेल, कला, संगीत आदि किसी से भी सम्बन्धित हो उनको राष्ट्रीय पहचान दिलाने का यथा सम्भव प्रयास करना ।

18. जाति एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिये उन व्यक्तियों को जिन्होने इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, संस्था के मंच से सम्मानित करना एवं सामाजिक मान्यता दिलाने [illegible]

19. तलाक के कगार [illegible] दम्पत्तियों को पुनः मिलाने का प्रयास करना ।

20. प्रदूषण पर्यावरण [illegible] परिवार कल्याण, [illegible] स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी [illegible], बागवानी विकास, के प्रति लोगों को जागरूक करना

21. लोगों को भयंकर बीमारी, जैसे एड्स, क्षय रोग, कैंसर, आदि बीमारियों से बचने के उपाय तथा उनके प्रति लोगो को जागरूक करना एवं उनको इसके निराकरण के उपाय के बारे में जानकारी देना ।

Ksingh
Asingh
बेला सिंह
कलावती सिंह
B S
B Singh
जंग बहादुर सिंह
Sandhya
शारदा देवी

प्रबन्धक
बाबू हरीराम सिंह महाविद्यालय
ऑफ फार्मेसी मल्टी, भगवतपुर, प्रयागराज

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
[illegible]

22. महिलाओं/ बालिकाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्प कला, संगीत, नृत्य, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाइनिंग, चिकन, जरी, डालमेकिंग, फ्लावर मेकिंग फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण आदि का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना ।

23. गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सलाह देना ।

24. महिलाओं को सामाजिक संरक्षण प्रदान करने के लिए महिला परामर्श केन्द्र का संचालन करना ।

25. समाज में फैली कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, नशा उन्मूलन को समाप्त करना तथा इसके प्रति लोगों को जागरूक करना ।

26. परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, स्त्री/पुरूष शौचालय औषधालय, संग्रहालय, भोजनालय, क्रीड़ा-स्थल, व्यायामशाला आदि कार्यक्रमों को संचालित करना ।

27. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी उद्योग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग निदेशालय द्वारा संचालित समस्त प्रकार के कार्यक्रमों एवं योजनाओं को संचालित करना, उनका प्रचार व प्रसार करना तथा बिक्री करना और संस्था की समस्त आय को उद्देश्यों की पूर्ति पर व्यय करना ।

28. बेरोजगार पुरूषों/महिलाओं को उद्यमिता विकास हेतु केन्द्र/ राज्य सरकार की योजनाओं यथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि अन्य योजनाओं के सन्दर्भ में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

K Singh

बेला सिंह

कलावती सिंह

उदा बहादुर सिंह

Sandhya

शारदा देवी

प्रबन्धक
बाबू हरीराम सिंह महाविद्यालय
ऑफ फार्मेसी मन्दरी, भगवतपुर, प्रयागराज

सत्य प्रतिलिपि

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियो एवं सदस्यों के नाम, पता, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है ।

क्र.स.	नाम पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती रंजना सिंह पत्नी डॉ0 के0 के0 सिंह	ग्राम डिहवा पो0 सराय अकिल कौशाम्बी	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री बेला सिंह पुत्र श्री स्व सीता राम सिंह	ग्राम धनकेसरा पो0 आसेपुर इलाहाबाद	उपाध्यक्ष	नौकरी
3.	कलावती सिंह पुत्री स्व0 वासुदेव सिंह	ग्राम म्योहरिया, पो0 म्योहर जिला - कौशाम्बी	प्रबन्धक/मंत्री	समासेविका
4.	श्री जंग बहादुर सिंह पुत्र स्व हरी राम सिंह	ग्राम कांदी पो0 सहसों इलाहाबाद	उपप्रबन्धक/ उपमंत्री	कृषि
5.	श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह	9 सी/ 1, लिडिल रोड, जार्ज टाउन, इलाहाबाद	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6.	श्री विजय बहादुर सिंह पुत्र स्व0 हरीराम सिंह	,, ,,	सदस्य	नौकरी
7.	श्रीमती संध्या गौड़ (एस0टी0) पत्नी श्री राम बाबू गौड़	मालवीय रोड, जार्ज टाउन इलाहाबाद	सदस्य	समाजसेविका
8.	डॉ0 के0 के0 सिंह पुत्र स्व सत्य नारायन सिंह	ग्राम डिहवा पो0 सराय अकिल कौशाम्बी	सदस्य	समाजसेवा
9.	श्रीमती शारदा देवी (एस0सी0) पत्नी श्री प्रेम प्रकाश	140 सी/90 एल, राजरूप पुर, इलाहाबाद	सदस्य	समाजसेविका

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि हमने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21 सन् 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है

दिनांक : 27.12.05

प्रबन्धक
बाबू हरीराम सिंह महाविद्यालय
ऑफ फार्मेसी मन्दरी,भगवतपुर,प्रयागराज

सत्य प्रतिलिपि

नियमावली

1 संस्था का नाम : सचेतना समिति ।

2 संस्था का पता : 9सी/1 लिडिल रोड, जार्ज टाउन, इलाहाबाद ।

3 संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।

4 संस्था का उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार होगें ।

5 संस्था की सदस्यता एवं उनके वर्ग

(ब) आजीवन सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था को रू0 1001/- एक मुश्त दान स्वरूप देता है तथा संस्था के उद्देश्यों में पूर्ण आस्था रखता हो तो वह संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जा सकेगा ।

(स) सामान्य सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था को वार्षिक सदस्यता शुल्क रू0 501/- देगा तथा संस्था के उद्देश्यों में पूर्ण आस्था रखता हो, को संस्था का सामान्य सदस्य रहेगा ।

6. सदस्यता की समाप्ति :-

1 मृत्यु हो जाने पर ।

2 पागल या दिवालिया हो जाने पर ।

3 संस्था के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने पर ।

4 त्याग पत्र देने पर तथा स्वीकार होने पर ।

5 नियामित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।

6 अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर चारित्रिक दोष के कारण दण्डित होने पर ।

7 लगातार तीन बैठकों में बिना कारण बताये अनुपस्थित रहने पर ।

7 संस्था के अंग :- साधारण सभा ।

प्रबन्धकारिणी समिति ।

प्रबन्धक
बाबू हरीराम सिंह महाविद्यालय
ऑफ फार्मेसी मन्दरी, भगवानपुर, प्रयागराज

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ. प्र. इलाहाबाद

Singh

Asingh

कलावती सिंह

8 **साधारण सभा** गठन : सभी प्रकार के सदस्यो को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा ।

बैठक वार्षिक सामान्य बैठक प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में बुलायी जायेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

सूचना अवधि : सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व दी जाऐगी ।

गणपूर्ति : साधारण सभा की बैठक का कोरम 2/3 होगा किन्तु कोरम के अभाव में व्यक्तिगत बैठक एक घंटे बाद पुनः उसी स्थान पर उसी एजेण्डे पर बैठक आहुत की जा सकेगी जिसका कोरम की बाध्यता नही होगी ।

वार्षिक अधिवेशन की तिथि: साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा तय की जाएगी ।

साधारण सभा के कर्तव्य: 1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।

2. नियमों व विनियमों में बहुमत से संशोधन व कार्यवाही करना ।

3. वार्षिक आय-व्यय बजट को पारित करना ।

4. अन्य वे निर्णय लेना जिसे प्रबन्धकारिणी समिति न ले सके ।

5. प्रबन्धकारिणी के क्रिया-कलापों की पुष्टि करना तथा आवश्यकतानुसार मार्ग दर्शन देना ।

9 **प्रबन्धकारिणी समति** : गठन :- साधारण सभा के द्वारा प्रबन्धसमिति का गठन किया जायेगा

कलावती सिंह

प्रबन्धक
बाबू हरीराम सिंह महाविद्यालय
ऑफ फार्मेसी मन्दरी, भगवतपुर, प्रयागराज

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज़ एवं चिट्स
उ० प्र० प्रयागराज

जिसमें मुख्य संरक्षक, अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, मंत्री/प्रबन्धक एक, उपप्रबन्धक/उपमंत्री, कोषाध्यक्ष एक एवं बाकी 4 सदस्य होगें। इस प्रकार कुल संख्या 9 होगी।

<u>बैठकें</u> : प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी। विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है

<u>सूचना अवधि</u> : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना 24 घंटे पूर्व देकर बुलाई जा सकती है।

<u>गणपूर्ति</u> :- कार्यकारिणी के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में बैठक आयोजित होगी बहुमत का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।

<u>रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि</u> : प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी रिक्त स्थान की पूर्ति समिति के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा कार्यकाल की शेष अवधि के लिये की जायेगी।

<u>प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य</u>:-

1. संस्था [illegible] ।
2. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना।
3. वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार तथा उसे क्रियान्वित करना
4. संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति पर नियन्त्रण रखना।
5. समिति के उपसमितियों का गठन करना तथा उनके पदाधिकारियों/सदस्यों को नामित करना
6. संस्था के विवादों को सुलझाना।
7. संस्था के विकास हेतु प्रयास करना।

कलावती सिंह

प्रबन्धक
बाबू हरीराम सिंह महाविद्यालय
ऑफ फार्मेसी मन्दरी, भगवतपुर, प्रयागराज

सत्य प्रतिलिपि

9. संस्था के किसी भी सदस्य/पदाधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौपना ।

11. संस्था के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु खादी ग्रामोद्योग, खादी बोर्ड राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना तथा उसको उद्देश्यों की पूर्ति पर व्यय करना।

10. वह सभी कार्य करना जो संस्था के उद्देश्य पूर्ति/विकास के लिए आवश्यक है ।

कार्यकाल :- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा ।

10 प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

1. अध्यक्ष :-

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना ।
2. समान मत होने पर निर्णायक मत देना ।
3. संस्था के विकास हेतु बहुमूल्य मत/प्रस्ताव प्रस्तुत करना ।

2 उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त कार्यों को पूर्ण करना ।

3. प्रबन्धक/मंत्री

1. संस्था का मुख्यपालक अधिकारी (सी0ई0ओ0) के रूप में कार्य करना ।
2. प्रबन्धकारिणी के निर्देशों के अधीन रहते हुए संस्था की समस्त सम्पत्तियों तथा धनराशियों को सुरक्षित अभिरक्षा तथा विनियोजन का प्रबन्ध करना ।
3. कर्मचारियों की वेतनवृद्धियों तथा देय धनराशियों का भुगतान स्वीकृत करना तथा अन्य सेवाओं तथा सामग्रियों के लिये भुगतान स्वीकृत करना ।

प्रबन्धक
बाबू हरीराम सिंह महाविद्यालय
ऑफ फार्मेसी मन्दरी, भगवतपुर, प्रयागराज

सत्य प्रतिलिपि

4. संस्थान से संबंधित समस्त अनुबन्धों तथा संस्थान की चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित समस्त अभिलेखों तथा अन्य लेखों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना ।

5. संस्था से सम्बन्धित समस्त विधिक कार्यवाहियो मे प्रतिनिधित्व करना और उन कार्यवाहियों एवं मामलों में संस्था की ओर से अभिकथन करना तथा उन्हें सत्यापित करना ।

6. साधारण सभा/प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की तिथियों का निर्धारण करना उन्हें स्थगित करना निरस्त करना या बढ़ाना और तदनुसार अध्यक्ष को सूचित करना ।

7. साधारण सभा/प्रबन्धकारिणी की बैठकों हेतु एजेण्डा तैयार करना ।

8. संस्था की समस्त चल/अचल सम्पत्तियों की देखभाल करना ।

9. संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा ।

10. कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति, सेवामुक्ति एवं निलम्बन के आदेश निर्गत करने का अधिकार होगा

11. अनुशासनहीनता बरतने वाले सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ।

उपप्रबन्धक उपमंत्री / प्रबन्धक/मंत्री के अनुपस्थित के कार्य करना।

4. कोषाध्यक्ष :-

1. हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना
2. संस्था की आय व्यय का लेखा जोखा करना ।
3. संस्था के विकास एवं उन्नति के लिए कार्य करना ।

11 संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया ।

संस्थान के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया, परिवर्तन एवं परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा की जायेगी ।

12. संस्था का कोष :-

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा पोस्ट आफिस में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा खाते का संचालन मंत्री/प्रबन्धक और कोषाध्यक्ष या किसी एक सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों के द्वारा संचालन होगा

कलावती सिंह

प्रबन्धक
बाबू हरीराम सिंह महाविद्यालय
ऑफ फार्मेसी मन्दरी, भगवतपुर, प्रयागराज

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद

13. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण -

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा ।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व -

संस्था द्वारा होने वाले पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

15. संस्था के अभिलेख -

1. कार्यवाही रजिस्टर ।
2. स्टाक रजिस्टर ।
3. सदस्यता रजिस्टर ।
4. कैशबुक ।

16. विघटन -

संस्था के विघटन व विघटित संपत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

दिनांक : 27.12.03 सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर

प्रबन्धक
बाबू हरीराम सिंह महाविद्यालय
ऑफ फार्मेसी मन्दरी, भगवतपुर, प्रयागराज

सत्य प्रतिलिपि